

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 349/2021

दायर दिनांक 28.12.2021



वादी

1. धुलाराम पुत्र स्व० रामनाथ जाति राईका निवासी गोदरास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।

प्रतिवादीगण

1. धुलाराम पुत्र सुरजाराम
2. नारायणराम पुत्र सुरजाराम
3. कानाराम पुत्र प्रभुराम
4. भैराराम पुत्र प्रभुराम
5. राजूडी उर्फ बाजूडी पुत्री प्रभुराम
6. रूपली उर्फ गंगा पुत्री बुधा
7. सोनकी उर्फ सोनी सोनी पुत्री बुधा
8. जबरकी पत्नि रामनाथ
9. जीवणराम पुत्र रामनाथ
10. मुकेश पुत्र रामनाथ
11. शोभादेवी पुत्री रामनाथ समस्त जाति राईका निवासी गोदरास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।
12. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

दावा बन्टवारा व रेकर्ड दुरुस्ती हस्ब
अन्तर्गत धारा- 53, 136 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री प्रकाश डुकिया वकील वादी।
2. श्री विक्रम कुड़ी वकील प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 13.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना की शहरद में खेत खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे०, खसरा सं० 194 रकबा 0.0200 हैक्टे, खसरा सं० 195 रकबा 2.6200 हैक्टे, खसरा सं० 396 रकबा 0.0500 हैक्टे० गैर मुमकिन ढाणी, खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० कुल रकबा 6.3500 हैक्टे० व खेत खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० जमीन वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 11 की पैत्रिक व सामलाती कब्जा काश्त की जमीन है।

1. वादी धुलाराम व प्रतिवादी सं० 09 जीवणराम व प्रतिवादी सं० 10 मुकेश के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना की शहरद में खेत खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.193126 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा सं० 195 रकबा 2.6200 हैक्टे० में से 1.3200 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० में से 0.941 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार।
2. प्रतिवादी सं० 01 ता 02 धुलाराम व नारायणराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० में से 0.9795 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० में से 0.8545 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 396 रकबा 0.0500 हैक्टे० गैर मुमकिन ढाणी सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार।
3. प्रतिवादी सं० 03 कानाराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० में से 0.8545 हैक्टे०



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)



नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० में से 0.8545 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार।

4. प्रतिवादी सं० 04 भौराराम के बन्त व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० में से 0.941 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.355 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा सं० 195 रकबा 2.6200 हैक्टे० में से 1.300 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 194 रकबा 0.0200 हैक्टे० सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार।
5. प्रतिवादी सं० 01 धूलाराम के बन्त व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.161874 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार।

इस प्रकार मौके पर कब्जा काश्त व बढेरो के बन्त के अनुसार कुल जमीन के उपरोक्त अनुसार अलग-अलग भाग किये हुए है। नजरी नक्शा अनुसूचि "क" पेश है। जो इस वाद का अहम भाग है। नजरी नक्शे में प्रत्येक खातेदार के बन्त में आई जमीन को दर्शाया गया है। इसी अनुरूप मौके पर कब्जा काश्त है।

यह है कि प्रतिवादी सं० 06 रूपली उर्फ गंगा व 07 सोनकी उर्फ सोना स्व० बुधाराम की पुत्रियां है। प्रतिवादी सं० 05 राजूड़ी उर्फ बाजूड़ी जो प्रभुराम की पुत्री है। प्रतिवादी सं० 08 रामनाथ की पुत्री है। जिनहोने अपनी खातेदारी की जमीन में से अपना हिस्सा अपने भाईयों व बेटों के हक में तर्क कर दिया है तथा अपने-अपने ससूराल रहती है। प्रतिवादी सं० 05, 06, 07 व 11 उपरोक्त खसरो की जमीन में कभी काश्त नहीं की है उपरोक्त खसरो की जमीन पर वादी व प्रतिवादी सं० 01 ता 04 व 09 ता 10 का ही कब्जा काश्त रहा है।


यह है कि बन्तवारा प्रतिवादीगण सं० प्रतिवादी सं० 01 ता 04 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है खेत पर वादी व प्रतिवादीगण सं० 09 ता 10 का अपने बढेरो के वक्त से कब्जा काश्त है। जमीन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नहीं होने से वादी व प्रतिवादीगण सं० 09 ता 10 की जमीन की वीव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है इस लिए वादी व प्रतिवादीगण सं० 09 ता 10 अपने बन्त व कब्जे काश्त की जमीन का बन्तवारा कराने हेतु बन्तवारा का दावा पेश है।
प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

कि वादी डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सं० 01 ता 04 इस अमर की सारद फरमाई जावें कि मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना की शहरद में खेत खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे०, खसरा सं० 194 रकबा 0.0200 हैक्टे०, खसरा सं० 195 रकबा 2.6200 हैक्टे०, खसरा सं० 396 रकबा 0.0500 हैक्टे० गैर मुमकिन ढाणी, खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० कुल रकबा 6.3500 हैक्टे० व खेत खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बन्तवारा वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार व नजरी नक्शा अनुसार जमीन का बन्तवारा वादी व प्रतिवादीगण सं० 09 ता 10 का हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग बन्त में दिलाने का आदेश फरमाया जावें व टायटल में दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण 01 ता 11 का राजीनामा जरिये वकील श्री विक्रम कुड़ी द्वारा पेश हुआ। माफिक राजीनामा प्रतिवादी सं० 05, 06, 07, 08 व 11 ने अपना सम्पूर्ण हक कलेम अपने भाईयों व बेटों के हक में दर्क कर दिया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

पक्षकारान् नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" अनुसार खातेदारी चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, नजरी नक्शा अनुरूप डिक्री सादिर किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

-:आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना की शहरद में खेत खसरा सं० 192, 194, 195, 396, 397, 398 नजरी नक्शा अनुसार जमीन का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 04, 06, 07 व 09 ता 10 का हिस्सा निम्नानुसार किया जाता है।


1. वादी धुड़ाराम व प्रतिवादी सं० 09 जीवणराम व प्रतिवादी सं० 10 मुकेश के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना की शहरद में खेत खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.193126 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा सं० 195 रकबा 2.6200 हैक्टे० में से 1.3200 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० में से 0.941 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार।
2. प्रतिवादी सं० 01 ता 02 धुलाराम व नारायणराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० में से 0.9795 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० में से 0.8545 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 396 रकबा 0.0500 हैक्टे० गैर मुमकिन ढाणी सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार।
3. प्रतिवादी सं० 03 कानाराम, प्रति० 06 रूपली उर्फ गंगा, प्रति० 07 सोनकी उर्फ सोनी के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० में से 0.8545 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा सं० 398 रकबा 2.6500 हैक्टे० में से 0.8545 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार।
4. प्रतिवादी सं० 04 भैराराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० में से 0.941 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.355 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा सं० 195 रकबा 2.6200 हैक्टे० में से 1.300 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 194 रकबा 0.0200 हैक्टे० सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार।
5. प्रतिवादी सं० 01 धूलाराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.161874 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार।

टायटल में दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती फरमाई जाती है। तदनुसार राजस्व रिक्ॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया

गया।


(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इव्वदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय भीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 349/2021

दायर दिनांक 28.12.2021

प्रतिवादीगण

- वादी
1. धुलाराम पुत्र स्व0 रामनाथ
जाति राईका निवासी गोदरास
तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0।

बनाम्

1. धुलाराम पुत्र सुरजाराम
2. नारायणराम पुत्र सुरजाराम
3. कानाराम पुत्र प्रभुराम
4. भैराराम पुत्र प्रभुराम
5. राजूडी उर्फ बाजूडी पुत्री प्रभुराम
6. रूपली उर्फ गंगा पुत्री बुधा
7. सोनकी उर्फ सोनी सोनी पुत्री बुधा
8. जबरकी पत्नि रामनाथ
9. जीवणराम पुत्र रामनाथ
10. मुकेश पुत्र रामनाथ
11. शोभादेवी पुत्री रामनाथ समस्त जाति राईका
निवासी गोदरास तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज0।
12. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 13.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई श्री प्रकाश डुकिया वकील वादी व श्री विक्रम कुडी वकील
प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा
डिक्री सादिर कर, मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना की शहरद में खेत खसरा सं0
192, 194, 195, 396, 397, 398 नजरी नक्शा अनुसार जमीन का बन्टवारा वादी व
प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04, 06, 07 व 09 ता 10 का हिस्सा निम्नानुसार किया जाता
है।


1. वादी धुलाराम व प्रतिवादी सं0 09 जीवणराम व प्रतिवादी सं0 10 मुकेश के बन्ट
व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास पटवार हल्का खुनखुना की शहरद
में खेत खसरा सं0 192 रकबा 0.7100 हैक्टे0 में से 0.193126 हैक्टे0 नजरी
नक्शा के अनुसार व खसरा सं0 195 रकबा 2.6200 हैक्टे0 में से 1.3200 हैक्टे0
नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं0 398 रकबा 2.6500 हैक्टे0 में से 0.941
हैक्टे0 नजरी नक्शा के अनुसार।
2. प्रतिवादी सं0 01 ता 02 धुलाराम व नारायणराम के बन्ट व कब्जा काश्त का
खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं0 397 रकबा 2.9500 हैक्टे0 में से 0.9795
हैक्टे0 नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं0 398 रकबा 2.6500 हैक्टे0 में से 0.
8545 हैक्टे0 नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं0 396 रकबा 0.0500 हैक्टे0 गैर
मुमकिन ढाणी सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार।
3. प्रतिवादी सं0 03 कानाराम, प्रति0 06 रूपली उर्फ गंगा, प्रति0 07 सोनकी उर्फ
सोनी के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं0 397
रकबा 2.9500 हैक्टे0 में से 0.8545 हैक्टे0 नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा
सं0 398 रकबा 2.6500 हैक्टे0 में से 0.8545 हैक्टे0 नजरी नक्शा के अनुसार।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

4. प्रतिवादी सं० 04 भैराराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 397 रकबा 2.9500 हैक्टे० में से 0.941 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.355 हैक्टे० नजरी नक्शा के अनुसार व खसरा सं० 195 रकबा 2.6200 हैक्टे० में से 1.300 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार व खसरा सं० 194 रकबा 0.0200 हैक्टे० सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार।
5. प्रतिवादी सं० 01 धूलाराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत :- मौजा गोदरास के खसरा सं० 192 रकबा 0.7100 हैक्टे० में से 0.161874 हैक्टे० नजरी नक्शा अनुसार।

टायटल में दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती फरमाई जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)